न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :21/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/26)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सन्तोख सिंह पुत्र जैला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 2. जसविन्द्र कौर पत्नी जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।		1. राधा रानी पुत्री बनवारी लाल जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 17 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 06.02.2025

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— **दिनांक : 24.12.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 41/33 दिनांक 08.03.2022 की जमाबन्दी में मुरब्बा नम्बर 20, 42, 43, 44, 49, 53/27 की कुल 27.409 हैक्टेयर भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज थी। उक्त जमाबन्दी में मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 8/1 की 0.126 हैक्टेयर भूमि, किला नम्बर 8/2 की 0.127 हैक्टेयर भूमि भी संयुक्त खाता में दर्ज थी। उक्त जमाबन्दी के कुछ खातेदारान द्वारा दिनांक 29.05.2017 को अभियान न्याय आपके द्वार के दौरान एक बंटवारानामा पेश किया गया। जिसमें काश्तकार राधा रानी द्वारा मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 8 की 0.127 हैक्टेयर भूमि अपने बंटवारा में होना दर्ज किया गया। वास्तव में मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 8 के 5 बिस्वा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 02.07.1977 को जसवीर सिंह पुत्र जैला सिंह द्वारा एंव किला नम्बर 8 के 15 बिस्वा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 02.07.1977 को सन्तोख सिंह पुत्र जैला सिंह द्वारा खरीद की गई थी। जसवीर सिंह की मृत्यू के पश्चात उक्त भूमि उनकी पत्नी जसविन्द्र कौर के नाम दर्ज हो गई। खरीद की दिनांक से मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 8 की 0.253 हैक्टेयर भूमि पर वादीगण सन्तोख सिंह व जसवीर सिंह का कब्जा काश्त चला आ रहा था और जसवीर सिंह की मृत्यू के पश्चात उक्त भूमि पर सन्तोख सिंह व जसविन्द्र कौर का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त बंटवारानामा में हमें पक्षकार नहीं बनाया गया। इसलिए मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 8 के सही तथ्य हम तहसीलदार श्रीकरणपुर के सामने नहीं रख सके। वर्तमान में खाता संख्या 41/41 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 8/1 की 0.126 हैक्टेयर भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है और किला नम्बर 8/2 की 0.127 हैक्टेयर भूमि उक्त संयुक्त खाता से कलमजन होकर राधा रानी के एकल खाता में दर्ज हो गई है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि किला नम्बर 8 के स्थान पर किला नम्बर 11 के कब्जा काश्त अनुसार अपने नाम दर्ज करवा लेवे तो प्रतिवादी संख्या 1 ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 144/41 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 8/2 की 0.127 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 41/41 में दर्ज किए जाने व खाता संख्या 41/41 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 11 की 0.127 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 144/41 में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 3418 दिनांक 02.12.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 12 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 33 मे इन्तकाल संख्या 523 दर्ज हुआ। जिसमें राधा रानी पत्नी बनवारी लाल जाति अरोडा ने मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 3 की 0.253 हैक्टेयर भूमि, किला नम्बर 8/2 की 0.127 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा सहवन से करवा लिया। जबकि मौके पर कब्जा मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 11 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 की 0.127 हैक्टेयर कुल 0.380 हैक्टेयर भूमि पर है। चक 12 ओ के खाता संख्या 41 में किला नम्बर 3 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 8/2 की 0.127 हैक्टेयर भूमि का अंकन संयुक्त खाते में दर्ज करते हुए, खाता संख्या 144 में किला नम्बर 11 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 में 0.127 हैक्टेयर कुल 0.380 हैक्टेयर भूमि का अंकन किया जाना उचित है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 144/41 की प्रति, राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 41/41 की प्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 144/41 में मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 11 की 0.253 हैक्टेयर भूमि, किला नम्बर 12 की 0.127 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 41/41 में मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 3 की 0.253 हैक्टेयर भूमि व किला नम्बर 8/2 की 0.127 हैक्टेयर भूमि दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 12 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 33 मे इन्तकाल संख्या 523 दर्ज हुआ। जिसमें राधा रानी पत्नी बनवारी लाल जाति अरोडा ने मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 3 की 0.253 हैक्टेयर भूमि, किला नम्बर 8/2 की 0.127 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा सहवन से करवा लिया। जबकि मौके पर कब्जा मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 11 की 0. 253 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 की 0.127 हैक्टेयर कुल 0.380 हैक्टेयर भूमि पर है। चक 12 ओ के खाता संख्या 41 में किला नम्बर 3 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 8/2 की 0.127 हैक्टेयर भूमि का अंकन संयुक्त खाते में दर्ज करते हुए, खाता संख्या 144 में किला नम्बर 11 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 में 0.127 हैक्टेयर कुल 0.380 हैक्टेयर भूमि का अंकन किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादीगण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेशः–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136– भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 144/41 में मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 11 की 0.253 हैक्टेयर भूमि, किला नम्बर 12 की 0.127 हैक्टेयर भूमि दर्ज किए जाने व राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 41/41 में मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 3 की 0.253 हैक्टेयर भूमि व किला नम्बर 8/2 की 0.127 हैक्टेयर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

भूमि दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

(श्योराम (आर.ए.एस.))
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर (जिला श्रीगंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(श्योराम (आर.ए.एस.))
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर (जिला श्रीगंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अधिकारी (राजस्व) (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सन्तोख सिंह पुत्र जैला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 2. जसविन्द्र कौर पत्नी जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।		1. राधा रानी पुत्री बनवारी लाल जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 17 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

वादपत्र धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर 21/2025
निर्णय दिनांक :- 24.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 144/41 में मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 11 की 0.253 हैक्टेयर भूमि, किला नम्बर 12 की 0.127 हैक्टेयर भूमि दर्ज किए जाने व राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 41/41 में मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 3 की 0.253 हैक्टेयर भूमि, किला नम्बर 8/2 की 0.127 हैक्टेयर भूमि दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।
आज दिनांक 24.12.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम} (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम} (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 24.12.2025

क्रमांकः रीडर/2025/944
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम} (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर